

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/स.क.भर्ती/2024/ई-57725/08

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय:- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 गैर-अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-03) विभाग, जयपुर द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(1)प्र.सु./अनु.-3/2025-07601 दिनांक 08.07.2026 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में गैर-अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार स्कूल शिक्षा विभाग आवंटित कर अभ्यर्थियों की अभिशंषा मय विस्तृत आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करवाये गये हैं।

उक्त के क्रम में संलग्न सूची (गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र) में विवरणांकित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक : प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक : 18.05.2020 में वर्णित शर्तों के अधधीन **दिनांक 27.07.2026 से दिनांक 30.07.2026 तक** काउंसलिंग आयोजित कर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश काउंसलिंग समाप्ति दिनांक को जारी किया जावे एवं जारी नियुक्ति आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाकर प्रति ई-मेल आई.डी. sogad2015@gmail.com पर अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग, जयपुर द्वारा अभिस्तावित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन पश्चात नियुक्ति एवं पदस्थापन से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है -

- इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदि की कार्यवाही नियुक्तिकर्ता द्वारा राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीयसेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
- इन अभ्यर्थियों के उपर्युक्त परीक्षा के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे हैं।
- इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (computer/typing संबंधी) आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./एमबीसी/विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपनी संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व इन प्रमाण पत्रों (माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित) की सत्य प्रतियां आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें।
- ओबीसी एवं एमबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जारी किया गया हो।
- अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी शपथ पत्र [कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा] निर्धारित प्रपत्र में पूर्ति करावें।
- गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।
- स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन नियमानुसार अपने स्तर पर करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8. अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के मूल आवेदन, दस्तावेजों एवं कम्प्यूटराईज्ड (Attestation form) में कमी/त्रुटि आदि पाये जाने पर अवगत करवाएं।
9. नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति पत्र में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियुक्ति संबंधी सभी नियमों एवं शर्तों को सम्मिलित करें।
10. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिव्यांग चयन वर्ग में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से आपको आवंटित अभ्यर्थी की दिव्यांगता/दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आप द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर मेडिकल बोर्ड का गठन काउंसलिंग दिनांक को ही करवाकर मेडिकल बोर्ड द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों के दिव्यांगता/दिव्यांग प्रमाण पत्र के प्रमाणीकरण उपरान्त ही उक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किये जाने हैं।
11. चयनित अभ्यर्थी जिनके द्वारा राज्य से बाहर बोर्ड से शैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उक्त शैक्षणिक योग्यता/प्रमाण पत्रों की वैधता सम्बन्धी जांच जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक द्वारा दल गठित करवाया जाकर सम्बन्धित बोर्ड से उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र वैधता की जांच करवाई जावे। उक्त अभ्यर्थियों की केवल काउंसलिंग करवाई जाकर पद सुरक्षित रखा जावे। नियुक्ति/पदस्थापन आदेश अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र वैध व मान्य पाये जाने पर जारी किये जावें।

12. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थियों के जिले में पदस्थापन हेतु –

- a) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समस्त/125 प्रतिशत (जो भी कम है) रिक्त पद निम्न प्राथमिकतानुसार प्रदर्शित किये जावें :-

कार्यालय पदों का निर्धारण

- कार्यालय में रिक्त पदों का 85 प्रतिशत रिक्त को प्रदर्शित करना जैसे कि किसी कार्यालय में रिक्त पदों की संख्या 10 है तो 85 प्रतिशत के हिसाब से 08 पद। (Round Down)
- कार्यालय के रूप में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सहित विभाग के समस्त कार्यालय प्रदर्शित किये जाने हैं।

विद्यालय पदों का निर्धारण

- ऐसे समस्त विद्यालय जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 01 ही पद स्वीकृत है जो कि रिक्त है अथवा समस्त स्वीकृत पद रिक्त है तो कम से कम 01 पद प्रदर्शित किया जाना है यदि इन विद्यालयों की संख्या आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक होने पर नामांकन के घटते हुए क्रम में रिक्त पदों को भरा जाए (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों सहित)
- 01 से अधिक रिक्त पदों वाले विद्यालयों में 80 प्रतिशत तक की रिक्ति को प्रदर्शित करना हैं। जैसे किसी विद्यालय में 04 पद रिक्त है तो उस स्थिति में केवल 03 पद ही प्रदर्शित किये जावें। (Round Down)
- सुलभ संदर्भ हेतु कार्यालयों एवं विद्यालयों में कुल रिक्त पदों का आनुपातिक संख्यात्मक विवरण सलग्न प्रेषित है।

b) पदस्थापन की कार्यवाही केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर ही की जावें।

c) टीएसपी क्षेत्र हेतु टीएसपी नियुक्ति नियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें।

13. सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग के परिपत्र क्रमांकप. 1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के अनुसार वरीयता क्रम का निर्धारण निम्नानुसार किया जावें :-

i. 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी। (बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।

ii. विधवा महिला-विकल्प प्रस्तुतीकरण के साथ आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र मय पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर। (बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।

iii. परित्यक्ता महिला-विकल्प प्रस्तुतीकरण के साथ सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन सम्बन्धी डिक्री की प्रति एवं आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर। (बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।

- IV. एकल महिला (अविवाहित)—अविवाहित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर (बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- V. भूतपूर्व सैनिक (बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- VI. पति-पत्नी प्रकरण—पति अथवा पत्नी जैसी स्थिति हो, में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में आवंटित जिले में कार्यरत हो तो पति अथवा पत्नी को कार्यरत पति/पत्नी के वर्तमान पदस्थापित जिले में रिक्ति उपलब्ध होने पर वरियता सूची में प्राथमिकता दी जावे। इसके लिए कार्यरत पति/पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण पत्र को आधार माना जावे। यदि आवंटित जिले में पति/पत्नी पूर्व से कार्यरत नहीं है तो मेरिट/श्रेणी के अनुसार वरियता का निर्धारण किया जावे।
- VIII. पति-पत्नी प्रकरण—उक्त भर्ती में पति-पत्नी दोनों के चयन होने की स्थिति में एवं एक ही जिले आवंटित होने की स्थिति में पति अथवा पत्नी में से किसी एक को प्राप्त उच्च मेरिट क्रमांक (बोर्ड की मेरिट अनुसार) के अनुसार प्राथमिकता दी जावे। यदि पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग जिला आवंटित होता है तो मेरिट/श्रेणी के अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जावे।
- IX. शहीद परिवार के आश्रित को सम्बन्धित शहीद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर (बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- X. ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता, पति/पत्नी असाध्य रोग (ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी) (बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- XI. महिला अभ्यर्थी (बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
- XII. अन्य शेष अभ्यर्थी (बोर्ड की मेरिट क्रमांक के क्रम में)।
13. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
14. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।
15. किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान/नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।
16. सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
17. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
18. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
19. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे।
20. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
21. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाया जावे।
22. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि, यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो

उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

23. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-1 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर राज्य सरकार के आदेशानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
24. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
25. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेगी।
26. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
27. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
28. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का स्पष्टतः अंकन किया जावे कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि संलग्न सूची में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख दर्शाया गया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में समस्त जिम्मेवारी आप स्वयं की होगी।
29. टीएसपी एरिया हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति (TGEM, TGEF, TSTM, TSTF, TSCM, एवं TSCF के प्रति) चयनित अभ्यर्थियों को टीएसपी एरिया में ही पदस्थापित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य क्षेत्र में पदस्थापित नहीं किया जावे। सामान्य क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन टीएसपी एरिया में नहीं किया जावे।
30. निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के नियमानुसार नियुक्ति आदेश निरस्त कर, नियुक्ति निरस्त आदेश की प्रति मय मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

आपके जिले को आवंटित अभ्यर्थियों के मूल विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्थापन लिपिक को काउंसलिंग दिनांक से पूर्व इस कार्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

शेष शर्तें पूर्व दिशा-निर्देशानुसार यथावत रहेगी।

संलग्न:-01. जिला आवंटित अभ्यर्थियों की सूची (गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र)

02. प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग, राजस्थान सरकार का परिपत्र दिनांक 18.05.2020

03. कार्मिक विभाग का परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021

04. कार्यालय एवं विद्यालयों में प्रदर्शित किए जाने वाले रिक्त पदों का आनुपातिक संख्यात्मक विवरण।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन

अति.राज्य परि.निदेशक(वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में गैर-अनुसूचित/अनुसूचित क्षेत्र हेतु चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन के आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
- 4- सम्बन्धित अभ्यर्थी.....

निदेशक